

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT****NEW DELHI****IN O.A. NO 1299/2024**

**IN THE MATTER OF**  
VINOD SINGH RAWAT

...COMPLAINANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND  
& ORS

...RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Reply on behalf of respondent no 3, District Magistrate, Uttarkashi, in compliance of the order dated 24.01.2024	1-4
2.	<b>Annexure A</b> Copy of the order dated 24.01.2025	5-7
3.	<b>Annexure B</b> Copy of the permission to Varsha devi	8-11
4.	<b>Annexure C</b> Copy of the letter of renewal.	12-13
5.	<b>Annexure D</b> Copy of the Joint committee report	14-15
6.	<b>Annexure E</b> Copy of the Notice dated 13.10.2022 and 12.08.2024	16-17
7.	<b>Annexure F</b> Copy of the order dated 18.05.2023	19-20



Dated: 17.05.2025

Adv Anjali Rajput

Panel Counsel for State of Uttarakhand

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH**  
**AT NEW DELHI**

**IN O.A. NO 1299/2024**

**IN THE MATTER OF**

VINOD SINGH RAWAT

...COMPLAINANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND

...RESPONDENTS

& ORS

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3, DISTRICT**

**MAGISTRATE, UTTARKASHI GOVERNMENT OF UTTARAKHAND**

**IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 24.01.2025 PASSED BY**


**THIS HON'BLE TRIBUNAL.**

Most respectfully showeth:

I, Meharban Singh Bisht Aged about 54 Years S/o Kharak Singh Bisht presently  
 posted as District Magistrate, Uttarkashi Government of Uttarakhand hereby  
 solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present Reply by way of affidavit.
2. That above mentioned case was listed before this Hon'ble court on 24.01.2025 and this Hon'ble Tribunal was pleased to pass following order

*"2. Learned counsel for respondents no. 1 to 4, 6 and 7 seek*



**458**  
*adjournment for filing their replies/responses.*

*3.Replies/ responses by respondents no. 1 to 4, 6 and 7 may be filed*

*at least one week before the next date of hearing fixed with advance copy to the applicant and other respondents.*

*4.At this stage learned counsel for respondents no. 6 and 7 have submitted that copies of letter petition, which has been registered as Original Application, and documents enclosed with the same have not been supplied to them... ”*

That the copy of the order dated 24.01.2025 is Annexed as **Annexure**

**A.**

3. That to mitigate soil erosion and prevent loss of life and property caused by excessive RBM (River Bed Material) deposition due to monsoon, permission for its disposal was granted to respondent no. 7 by order number 2149/32-/(2020-21) This decision was made in accordance with the Disaster Management Act 2005 and the River Training Policy, following due procedure of open auction and publishing and the recommendations of a committee chaired by the Sub Divisional Magistrate, Barkot. That the copy of the permission is annexed herewith as **Annexure B**
4. That the permission authorized respondent no 7 to complete channelization of an area of 3.00 hectares within Khasra numbers 2958 ma, 3176 ma, and 3177 ma in Kotiyalgaon village, Barkot tehsil, for the removal of 82,500 cubic meters (or 181,500 tons) of RBM



*Wills*

from the Yamuna River for a period of 4 months i.e 01/02/2022 till 31.05.2021.

5. It is submitted that during the tenure of channelization was done as per the conditions mentioned in the permission letter issued to respondent no 7 and per her E-ravanna details respondent no 7 has not excavated material beyond permitted capacity and tenure.
6. That vide letter number 1620/VII-1/288-kha/2-14 dated 18.12.2024, respondent no.6 was granted permission in accordance with the Stone Crusher, Screening Plant, Pulverizer Policy 2011 for a period of three years to establish and operate a stone crusher with a capacity of 200 metric tons per day on private land measuring 0.645 hectares in Village Kotiyalgaon, Tehsil Barkot, District Uttarkashi. That vide letter dated VII-A-1/2024/228-kha/2024 dated 05.2024 operation of the said stone crusher was renewed till 22.04.2033. That the copy of the letter is annexed as **Annexure B (Colly)**.
7. That in surprise Joint inspection was conducted and upon the report of the committee, District Magistrate, Uttarkashi, Uttarakhand issued notices to respondent no 6, vide notice no 266/32-MB (3021-22) Dated 13.10.2022 and Notice number 8109/32- MB-illegal mining (2021-22) dated 12.08.2022 whereby found 2 trucks and 1 JCB were found involved in illegal mining and a penalty of Rs. 1,06,42,748/- was imposed upon respondent no 6 for illegal mining of 22603 cubic



*[Handwritten Signature]*

meters i.e. 49727 ton. That the copy of the Joint committee report is annexed as **Annexure C** notice dated 13.10.2022 and 12.08.2024 is annexed as **Annexure D**.

8. That respondent no 6 preferred an appeal against the notices issued by District Magistrate, Uttarkashi which was allowed, and the penalty was imposed was set aside by the order no 805/VII-A-1/2023-10(22)/2022 dated 18.05.2023. That the copy of the order is annexed herewith as **Annexure E**.

9. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for this Hon'ble Tribunal and orders passed by them.



*Mishra*  
Deponent

Verification:

Verified at <sup>UTTARKASHI</sup> Dehradun on the ..17... of May 2025, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therefrom.

*Mishra*  
Deponent

This Affidavit is Sworn before me by  
Shri/Smt. M. S. BISHT. D.M  
who is identified by Shri UK1  
at Uttarkashi dated ..... AM/PM  
17.5.2025 3:00 PM

*Vimal Prasad Nautiyal*  
17/5/2025  
Vimal Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)

461

Item No.08

Court No. 2

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.1299/2024

Vinod Singh Rawat

Applicant

Versus

State of Uttarakhand &amp; Ors.

Respondents

Date of hearing: 24.01.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Ms. Soni Singh, Advocate for CPCB.

**ORDER**

1. Mr. Vinod Singh Rawat has sent the present letter petition, which has been treated and registered as O.A. No. 1299/2024, complaining that one Vinod Dobhal is engaged in illegal mining on river bank of Yamuna and is also operating a stone crusher namely M/s Astitwa Anantraj Enterprises stone crusher in violation of environmental laws.

2. Vide order dated 26.11.2024 this Tribunal constituted a Joint Committee comprising Central Pollution Control Board, Uttarakhand State Pollution Control Board and District Magistrate, Uttarkashi with direction to visit the site, collect relevant information, interact with stakeholders and submit a factual report within one month.

3. In compliance thereof report dated 30.12.2024 of the Joint Committee has been filed by CPCB vide forwarding letter dated 01.01.2025.



4. We have gone through the report and we find that the Joint Committee has not looked into the aspects of previous illegal mining in the area and compliance with CTO conditions and guidelines issued by CPCB and UKPCB by the Project Proponent-M/s. Astitwa Anantraj Enterprises. The Joint Committee has also not looked into applicability of location criteria and compliance with the same by the Project Proponent-M/s. Astitwa Anantraj Enterprises. In the report of the Joint Committee, it has been mentioned that penalty of Rs. 1,06,42,748/- was imposed on the Project Proponent-M/s. Astitwa Anantraj Enterprises vide notice dated 06.08.2022 and but said penalty is stated to have been waived subsequently vide notice dated 18.05.2023 in view of reply submitted by M/s. Astitwa Anantraj Enterprises regarding supply of raw material to the Project Proponent-M/s. Astitwa Anantraj Enterprises by Smt. Varsha Devi wife of Mr. Praveen Singh Village Paletha who was granted river dredging permit by District Magistrate, Uttarkashi and the legality of such wavier has also to be looked into.

5. The Joint Committee is directed to look into the aspects of illegal mining, collect copies of the relevant documents regarding river dredging permit to Smt. Varsha Devi, the quantity supplied by above said permit holder to M/s. Astitwa Anantraj Enterprises and the total quantity of raw material utilized by M/s. Astitwa Anantraj Enterprises during the period.


(A)  
quantity  
Time of R

6. Additional report of the Joint Committee addressing all the relevant aspects including the aspects highlighted above be filed within one month

(1)

7. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it necessary to have response of (1) State of Uttarakhand through Secretary, Environment Department, Government of Uttarakhand, (2) Director, Mining and Geology, Government of Uttarakhand, (3) District Magistrate, Uttarkashi,

Miss



(4) Uttarakhand State Pollution Control Board, (5) Central Pollution Control Board (6) M/s. Astitwa Anantraj Enterprises and (7) Smt. Varsha Devi wife of Mr. Praveen Singh Village Paetha who are impleaded as respondents no. 1 to 7.

8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

9. CPCB is already represented before this Tribunal through its Counsel.

10. The Registry is directed to issue notices of the application alongwith copies of all documents and orders passed by this Tribunal to respondents no. 1 to 4 and 6 and 7.

11. Notices be served on respondent no. 6-M/s. Astitwa Anantraj Enterprises and respondent no. 7 Smt. Varsha Devi through the District Magistrate, Uttarkashi and for this purpose notices issued to respondent no. 6-M/s. Astitwa Anantraj Enterprises and respondent no. 7 Smt. Varsha Devi be sent to the District Magistrate, Uttarkashi by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard

12. List on 20.03.2025 for further consideration.

13. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Uttarkashi by email for requisite compliance.


Arun Kumar Tyagi, JM

January 24<sup>th</sup>, 2025  
O.A. No.1299/2024  
AG

*File*

Dr. Afroz Ahmad, EM

*17/5/25*  
Vimal Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)



:: आदेश ::


शासनादेश संख्या 137/vii-A-1/2020/90ख/ दिनांक 31.10.2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के क्रम में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्याधिक मात्रा में आर0बी0एम0 जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल की क्षति होने की सम्भावना है, में से आर0बी0एम0 निस्तारित किये जाने हेतु रिबर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, बड़कोट की अध्यक्षता में समिति गठित कर खुली नीलामी (Open Auction) कराये जाने हेतु विज्ञप्ति उप जिलाधिकारी, बड़कोट ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2020 के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी गई और इच्छुक बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु दिनांक 07.11.2020 की तिथि नियत की गई।

उप जिलाधिकारी, बड़कोट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तहसील बड़कोट में सम्पादित की गयी। खुली नीलामी (Open Auction) प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.11.2020 में निम्नलिखित उच्चतम बोलीकर्ता को सफल घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है:-

क. सं.	रिबर ट्रेनिंग हेतु चिन्हित ग्राम/स्थल का नाम	खसरा संख्या/ क्षेत्रफल	रिबर ट्रेनिंग कार्य हेतु अतिरिक्त आर0बी0एम0 की मात्रा	उच्चतम बोलीकर्ता का नाम व पता	रायल्टी का आधार मूल्य (रूपये में)	उच्चतम बोली मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1-	ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट के यमुना नदी तल में।	खाता सं.28 के खसरा सं. 2958 म. 3176 म. 3177 म. कुल रक्वा 3.00 हे०	82,500 घनमीटर अर्थात् 1,81,500 टन	श्रीमती बषदिवी पत्नी श्री प्रवीन सिंह ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट।	63,52,500.00	63,65,000.00

समिति द्वारा अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.11.2020 में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित तिथि तक 05 आवेदन प्राप्त हुये है। दिनांक 27.10.2020 को खुली नीलामी में 5 आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा 04 राउण्ड की बोली में श्रीमती बषदिवी पत्नी श्री प्रवीन सिंह ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी के द्वारा सबसे उच्च बोली 63,65,000.00रु० (त्रेसठ लाख पैसठ हजार रु०) की बोली लगाई गयी, जिसको समिति द्वारा बतौर उच्च बोलीकर्ता सफल आवेदक घोषित/स्वीकृत किया गया तथा सफल आवेदक श्रीमती बषदिवी के पक्ष में तहसील बड़कोट के अन्तर्गत ग्राम कोटियालगांव के नीचे यमुना नदी तल में खाता सं०-28 के खसरा सं० 2958 म., 3176 म., 3177 म. कुल रक्वा 3.00 हे० पर मात्रा 82,500 घनमीटर अर्थात् 1,81,500 टन नदी को चैनलाईजेशन द्वारा हटाने के लिये नियमानुसार अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

आवेदक/उच्च बोलीदाता के द्वारा धरोहर राशि के रूप में रु० 15,88,125.00 (पन्द्रह लाख अठासी हजार एक सौ पच्चीस रु०) का बैंक ड्राफ्ट संख्या 939619 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा जमा किया गया है। उच्चतम बोलीदाता पर रु० 63,65,000.00 (त्रेसठ लाख पैसठ



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*

कृपया-2


हजार रू0) रायल्टी की धनराशि 2 प्रतिशत रू0 1,27,050.00 स्टाम्प शुल्क, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 9,52,875.00 एवं 25 प्रतिशत रू0 15,88,125.00 जिला खनिज फाउंडेशन न्यास अंशदान में कुल रू0 90,33,050.00 (नब्बे लाख तैतीस हजार पच्चास रू0) आंगणित की जाती है, जिसमें से रू0 15,88,125.00 का समायोजन रायल्टी की धनराशि में करते हुये बोलीदाता के द्वारा अवशेष धनराशि रू0 74,44,925.00 (चौहत्तर लाख च्वालिस हजार नौ सौ पच्चीस रू0) 15 दिनों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक एवं खाते में जमा करना होगा।

अतः उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उप जिलाधिकारी, बड़कोट की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत तहसील बड़कोट के ग्राम कोटियालगांव के हंसेरा नामे तोक के नीचे यमुना नदी तल में खसरा सं0 2958 म0 3176 म0 3177 म0 कुल रक्वा 3.00 हे0 पर मात्रा 82,500 घनमीटर अर्थात 1,81,500 टन को चैनलाईजेशन किये जाने के उद्देश्य से आर0बी0एम0 को निस्तारित किये जाने हेतु उपरोक्त सफल उच्चतम बोलीदाता श्रीमती बर्षा देवी पत्नी प्रवीन सिंह निवासी ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी के पक्ष में उपरोक्त अवशेष धनराशि रू0 74,44,925.00 (चौहत्तर लाख च्वालीस हजार नौ सौ पच्चीस रू0) सम्बन्धित लेखाशीर्षक एवं खाता संख्या में जमा करने के पश्चात ई-रवन्ना जारी होने की तिथि से 4 माह की अवधि अथवा उक्त स्थल पर नदी में सफल चैनलाईजेशन तथा निक्षेपित उप खनिज की निर्धारित मात्रा हटाने की अवधि इसमें जो भी पहले हो, हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत की जाती है:-

- 1- उप खनिज का निस्तारण/परिवहन कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी से प्राप्त ई-रवन्ना से ही किया जायेगा।
- 2- अनुज्ञाधारक द्वारा आर0बी0एम0/मलवे की सफाई का कार्य किये जाने से पूर्व राजस्व विभाग/खनन विभाग द्वारा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। अनुमति क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं किया जायेगा।
- 3- अनुज्ञाधारक को टी0सी0एस0 की निर्धारित 02 प्रतिशत धनराशि को 15 दिनों के अन्दर स्वयं के टैन नम्बर के अधीन नियमानुसार जमा कर रसीद जिला कार्यालय/खनन कार्यालय उत्तरकाशी में उपलब्ध करानी होगी।  
नदी के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुये केवल मध्य भाग में आर0बी0एम0/ मलवे का चुगान किया जायेगा।  
आर0बी0एम0/मलवा की निकासी हेतु मार्ग तथा किसी भी प्रकार के स्थानीय विवाद की स्थिति में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 4- अनुज्ञाधारक को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन करना होगा।
- 5- उप खनिज निकासी के कारण किसी सार्वजनिक तटबन्ध मार्ग, गुल अथवा सिंचाई, पेयजल योजना को पहुंचने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा स्वयं की जायेगी।
- 6- उप खनिज निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा, कि सार्वजनिक मार्ग/सड़क अवरूद्ध न हो एवं जनसामान्य को कोई असुविधा न हो।
- 7- आर0बी0एम0 का निस्तारण रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के बिन्दु सं0-07 के प्राविधान के अनुसार आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे0सी0बी0, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।



- 10- रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के बिन्दु सं0-07 के प्राविधान के अनुसार पुल के अपस्ट्रीम में 100 मी0 तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मी0 के क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुये उप खनिज का चुगान गहराई तक किया जायेगा।
- 11- आर0बी0एम0 के निस्तारण हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- अनुज्ञाधारक द्वारा उप खनिज की निकास सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योस्त से पूर्व ही करनी होगी।
- 13- अनुज्ञाधारक द्वारा नदी चैनलाईजेशन की सूचना फोटोग्राफ्स सहित उप जिलाधिकारी, बड़कोट को प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी।
- 14- खनन कार्य हेतु वाहर से श्रमिकों/मजदूरों को नहीं लाया जायेगा, तथा सीमित मजदूर/श्रमिकों से ही कार्य संचालित किया जायेगा।
- 15- कार्य में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- 16- अनुज्ञाधारक द्वारा प्रत्येक श्रमिकों हेतु मास्क, दस्ताने, हैण्ड सैनिटाईजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
- 17- खनन क्षेत्र/ कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों/कार्मिकों के प्रवास की व्यवस्था यथा सम्भव कार्य क्षेत्र में अथवा उसके आसपास रखा जाय।
- 18- खनन संकियाओं हेतु कार्मिकों/श्रमिकों को रोस्टर के अनुसार लगाया जाय, जिससे कार्य स्थल पर अनावश्यक भीड़ न हो।
- 19- खनन कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर Temperature screening की समुचित व्यवस्था अनुज्ञाधारक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी श्रमिक/कार्मिकों में कोरोना से सम्बन्धित लक्षण पाये जाते हैं, तो इसकी सूचना तत्काल जनपद के चिकित्सा विभाग तथा जिला प्रशासन को दी जायेगी।
- 20- श्रमिकों को मानक के अनुसार सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाये रखना होगा।
- 21- अनुज्ञाधारक कोविड-19 के फैलने को रोकने हेतु जागरूकता एवं समस्त एतिहात उपाय उठाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- 22- अनुज्ञाधारक द्वारा श्रमिकों के खाने का स्थान, पानी पीने वाला स्थान एवं वाहनों के पार्किंग स्थल को प्रतिदिन कीटाणुरहित करने हेतु स्प्रे कराया जायेगा।
- 23- अनुज्ञाधारक द्वारा Common Points पर सैनिटाईजर/साबुन/मास्क/फेस कवर पर्याप्त संख्या में रखवाया जायेगा।
- 24- कार्य स्थल पर खनन संकियाओं के संचालन के दौरान गृहमंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 25- खनन संकियाओं के संचालन एवं परिवहन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपद के जिला खान अधिकारी/उप निदेशक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के पालन किये जाने के लिये उत्तरदायी होंगे।
- 26- खनिज/उप खनिज के परिवहन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 12 अप्रैल, 2020 एवं श्रमिकों के परिवहन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-2/2020-DM-1(A) दिनांक 19 अप्रैल, 2020 तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



*Mine*

तहसीलदार, बड़कोट एवं उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है, कि समय अवधि को दृष्टिगत रखते हुये यथाशीघ्र उक्त क्षेत्र का सीमांकन अनुज्ञाधारक की उपस्थिति में करते हुये सीमाबन्धन करना सुनिश्चित करें।



( मर्यूर दीक्षित )  
जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 2149 /32- (2020-21)

दिनांक 07 जनवरी, 2021


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय भोपालपानी, देहरादून।
- 3- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
- 5- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
- 6- तहसीलदार, बड़कोट।
- 7- अर्धशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पुरोला।
- 8- उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी।
- 9- अनुज्ञाधारक श्रीमती बर्षादेवी पत्नी प्रवीनसिंह ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।



*Mile*



*Vimal Prasad Nautiyal*  
1715125  
Vimal Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1


संख्या: /VII-A-1/2024/228-ख/2014

देहरादून: दिनांक: 6 सितम्बर, 2024

## - कार्यालय ज्ञाप -

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 5992/खनन/भूखनि०नि०/स्टो०के०प्ला०नवी०/उत्तरकाशी/2023-24, दिनांक 08.02.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में आवेदक श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, नि० ग्राम चक्रगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के पक्ष में ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत खसरासंख्या 2605, 2607, 2611, 2614 कुल रकबा 0.65550 है० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित 40 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण दिनांक 23 अप्रैल, 2023 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 210/2021 प्रेम सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 02 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 16 (3) के प्रावधानानुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 100 टन प्रति घंटा क्षमता तक के स्टोन क्रेशर अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क रू० 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष शुल्क रू० 9,90,000/- (रूपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) प्लांट के नवीनीकरण स्वीकृति के उपरान्त, ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाश्रीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।




*[Handwritten Signature]*

12

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-20469 अध्याय-I के विन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-I के विन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
10. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय-I के विन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
11. भूमि के बन्धक होने की दशा में अनुज्ञा जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर भूमि को बन्धकमुक्त कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई-रवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)  
अपर सचिव



संख्या- 250 (1)/VII-A-1/2024/228-ख/2014, तददिनांकित।


प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. आवेदक श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, नि0 ग्राम चक्रगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(विनोद प्रसाद तिवाड़ी)  
उप सचिव



  
Vimal Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)

-: संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या :-

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी के पत्र सं० 5222/32-एम०बी०-अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022 के क्रम में उपजिलाधिकारी, बडकोट के पत्र सं० 697/पी०ए०-विविध पत्रा०/2022, दिनांक 23.05.2022 एवं पत्र सं० 752/पी०ए०-स्टोन क्रेशर पत्रा०/2021-22, दिनांक 28.06.2022 के अनुपालन के क्रम में जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम कोटियालगांव में यमुना नदी तल में उपजिलाधिकारी, बडकोट के नेतृत्व में राजस्व विभाग, वन विभाग, रिचाई खण्ड पुरोला एव भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों के द्वारा दिनांक 11.07.2022 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया गया, जिसकी आख्या विन्दुवार निम्नवत् प्रस्तुत है :-

1. प्रश्नगत स्थल का संयुक्त औद्योगिक निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 को मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट, जनपद उत्तरकाशी के पक्ष में अवैध खनन किये जाने पर जे०सी०बी० मशीन सहित ₹ 93,33,740/- (तिरानवे लाख तैतीस हजार सात सौ चालीस) अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
2. उपजिलाधिकारी, बडकोट के पत्र सं० 697/पी०ए०-विविध पत्रा०/2022, दिनांक 23.05.2022 के द्वारा दिनांक 25.05.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की गई थी, जिसमें दिनांक 25.05.2022 को 21975 घन मी० (48,345 टन) अवैध खनन किया जाना मापा गया था। मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट, जनपद उत्तरकाशी के द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2022 के द्वारा उपजिलाधिकारी, बडकोट से अनुरोध किये जाने पर उपजिलाधिकारी, बडकोट के पत्र सं० 717/पी०ए०-स्टोन क्रेशर पत्रा०/2021-22, दिनांक 25.06.2022 के द्वारा दिनांक 01.07.2022 की तिथि नियत की गई थी, उसके उपरान्त पुनः स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.06.2022 के द्वारा दिनांक 11.07.2022 की तिथि निर्धारित किये जाने का पुनः उपजिलाधिकारी, बडकोट से अनुरोध किया गया, जिस पर उपजिलाधिकारी, बडकोट के द्वारा पत्र सं० 752/पी०ए०-स्टोन क्रेशर पत्रा०/2021-22, दिनांक 28.06.2022 के द्वारा दिनांक 11.07.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की गई, जिसमें भी स्टोन क्रेशर स्वामी स्वयं उपस्थित हुये और उनके द्वारा अपने किसी प्रतिनिधि को स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थल पर उपस्थित रहने हेतु नहीं भेजा गया।
3. कार्यालय जिलाधिकारी के पत्र सं० 5222/32-एम०बी०-अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022 के साथ संलग्न स्टोन क्रेशर स्वामी के पत्र दिनांक 18.05.2022 में उल्लिखित विन्दुओं को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान उचित एवं सत्य नहीं पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट (उत्तर-पूर्व दिशा) से परिसर के अन्दर अवैध खनन स्थल तक बाहन पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने की पुष्टि संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत अवैध खनन स्थल से स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट तक कच्चा बाहन मार्ग निर्मित किया जाना पाया गया है।
4. ग्राम कोटियालगांव में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड, के खसरा सं० 2820 रक्बा 0.372 है० तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(1) के खसरा सं० 2958 रक्बा 0.845 है०, खसरा सं० 2959 रक्बा 0.421 एवं खसरा सं० 2960 रक्बा 0.095 है० भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया, प्रश्नगत स्थल पर मापन का विवरण निम्नवत् सारणी में प्रस्तुत है-

क्र० सं०	लम्बा (मी०)	चौड़ा (मी०)	गहराई (मी० में)	कुल मात्रा (घन मी० में)	कुल मात्रा टन में)	आगणित पेंनाल्टी की घनराशि ( ₹ में )	मध्य भाग के कोर्डिनेट्स	अभ्युक्ति
1.	78	35	3.86	10537.80	23183	36,51,348 ✓	30°47'53.8"N 78°08'55.0"E	कुल उत्खनित भूभाग में से 75% उपसर्जित मात्रा की अवैध निकासी आकलित
2.	70	70	3.00	14700	32340	67,91,400 ✓	30°47'52.98"N 78° 9'0.41"E	कुल उत्खनित भूभाग में से 100% उपसर्जित मात्रा की अवैध निकासी आकलित
कुल				31089.56	68397.03	1,04,42,748		

5. उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 874/VII-1/2021/158-ख/04टी०सी० देहरादून, दिनांक 10.11.2021 नियमावली-2021 के अध्याय-3 के नियम

*Muse*

*Kamdhani*  
सं० 30/175  
बोर्डिंग नं० 154


*Stu/7/22*  
(जयदेव सिंह)  
(क. देवराज शर्मा)

*Ambriish*  
11-07-2022  
(Ambriish Raut)  
J.R.

- 14(5)(क) के तहत अवैध खनिज की मात्रा पर (25,000 टन से 50,000 टन तक रॉयल्टी का तीन गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी।
6. उपरत नियमावली-2021 के आयात-3 के नियम 14(5) (ख) के तहत अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा-2 एव उपधारा-5 के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपखनिज नदी तल से उत्सर्जित 22603 घनमी० अर्थात् 49727 टन (दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 25.05.2022 को मापी गई अवैध खनन मात्रा एव जे०सी०वी० मशीन को शामिल करते हुए) पर जे०सी०वी० मशीन सहित कुल आरोपित अर्धदण्ड ₹ 1,00,42,748/- (एक करोड़ छ लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट, जनपद को उनके द्वारा पुन अवैध खनन कार्य किये जाने पर उक्त आंगणित मात्रा पर आरोपित अर्धदण्ड की वसूली की सरतृति की जाती है।

उपरोक्त आख्या अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।



*Vimal Prasad Nautiyai*  
रा० ड० नि० १-१  
कोटियालगांव

11/7/22  
(जयदेवसिंह राय)  
(वनदेवीगा भोक्ता) सैबरान

*Ambrish*  
(Ambrish Rana)  
Junior Engg.

0/11  
11.07.2022  
(उपनिदेशक / मुलैडरनिंग)  
जनपद उत्तरकाशी

*Muse*

*Vimal Prasad Nautiyai*  
Vimal Prasad Nautiyai  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या: 266 / 32-एम0बी0(2021-22)


दिनांक 13

अक्टूबर 2022


मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज,  
प्रो० श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव,  
तहसील बडकोट जनपद उत्तरकाशी ।

द्वारा-तहसीलदार बडकोट

—:: अन्तिम नोटिस ::—



एतद्वारा सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-6879/32-एम0बी0 (2021-22) दिनांक 06 अगस्त 2022 के द्वारा आपको अवैध खनन करने तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर कुल 1,06,42,748.00 (एक करोड़ छः लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस ) रुपये को निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-00-102-01-0000 में नोटिस प्राप्त के 15 दिन अन्दर जमा करने तथा कोष पत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का नोटिस प्रेषित किया गया है। आपके द्वारा नोटिस में उल्लिखित धनराशि को जमा नहीं किया गया, और आपके द्वारा उक्त नोटिस के विरुद्ध दिनांक 21.09.2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त निरीक्षण आख्या तथा आरोपित अर्थदण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। आपका उक्त प्रार्थना पत्र बलहीन होने से जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 11.10.2022 को खारीज किया गया है।



अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से पुनः अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त अवैध खनन करने तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर आरोपित कुल 1,06,42,748.00 (एक करोड़ छः लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस) रुपये को निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-00-102-01-0000 में नोटिस प्राप्त के 15 दिन अन्दर जमा करें तथा कोष पत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक उक्त धनराशि जमा न करने पर उक्त धनराशि को बतौर भूराजस्व मालगुजारी के वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अपर जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि-उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी ।

*Mile*

अपर जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी ।

*Vimal Prasad Nautiyal*  
17/10/22  
Vimal/Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarakashi (Uttarakhand)

संख्या: 8108 /32- एम0बी0-अवैध खनन(2021-22)

दिनांक 12 अगस्त, 2024

श्री0 अस्तित्व अन्तराज, इण्डर प्राईजेज,  
प्रो0 विनोद डोभाल, ग्राम कोठियालगॉव,  
तहसील, बड़कोट जनपद उत्तरकाशी।

—: नोटिस :—

एतद्वारा सूचित करना है कि उप जिलाधिकारी, बड़कोट द्वारा दिनांक 20.01.2024 को ग्राम कोठियालगॉव अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के खसरा संख्या-2820 एवं उत्तराखण्ड सरकार जलमग भूमि वर्ग 10(1) के खसरा संख्या-2958 पर आपके द्वारा 780.44 घनमीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी ने अपने पत्र दिनांक 23.07.2024 के द्वारा अवैध रूप से एकत्रित किये गये आर0बी0एम0 780.44घनमीटर पर अवैध खनन करने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2023 के नियम 57(1) के अन्तर्गत रायल्टी का दोगुना समतुल्य धनराशि रू0 1,96,671.00 आगणित करते हुये जमा किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गई है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गये 780.44घनमीटर पर अवैध खनन करने पर आगणित धनराशि रू0 1,96,671.00 (एक लाख छियासबे हजार छ सौ इक्कतहर) को इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर जमा करें तथा कोष पत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक उक्त धनराशि जमा न करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अपर जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि-तहसीलदार, बड़कोट को उक्त नोटिस की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की प्राप्ति सम्बन्धित से विधिवत् सतिथि करवाने हुये तामिली रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अपर जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी ।



र.स. कोठियालगॉव  
श्री0 विनोद डोभाल  
ग्राम कोठियालगॉव  
16/08/24

*(Signature)*

*(Signature)*  
17/5/2024  
Vimal Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt - Uttarakashi (Uttarakhand)

474

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1  
संख्या: 805/VII-A-1/2023-10(22)/2022  
देहरादून, दिनांक: 18 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या-5062/32-एम0बी0(2021-22), दिनांक 13.05.2022 दिनांक 06.08.2022 द्वारा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री विनोद डोमाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर में दिनांक 04.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर कुल 19770 घ0मी0 अर्थात् 43494 टन उपखनिज अवैध खनन करने पर रॉयल्टी का तीन गुना रू0 91,33,740.00 तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर रू0 2.00 लाख कुल रू0 93,33,740/- जुमाना आरोपित करते हुए उक्त घनराशि को 07 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसके सन्दर्भ में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री विनोद डोमाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 18.05.2022 के क्रम में पुनः दिनांक 11.07.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्यानानुसार जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या-6879/32-एम0बी0 (2021-22), दिनांक 06.08.2022 एवं पत्र संख्या-268/32 एम0बी0(2021-22), दिनांक 13.10.2022 द्वारा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज पर उपखनिज नदी तल से उत्सर्जित 22603 घ0मी0 अर्थात् 49727 टन (दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 25.05.2022 को गापी गई अवैध खनन मात्रा एवं जे0सी0बी0 मशीन को शामिल करते हुए) पर कुल रू0 1,06,42,748/-जुमाना आरोपित करते हुए उक्त घनराशि को 15 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस एवं अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया।


2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निर्गत उक्त नोटिसों के सम्बन्ध में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री विनोद डोमाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 03.12.2022 को शासन स्तर पर अपील/पुनरीक्षण योजित की गई, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.01.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त सुनवाई में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री हनुमान प्रसाद तिवारी, उप सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री देवानन्द, उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री जी0डी0 प्रसाद, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी।
4. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन
5. श्री विनोद डोमाल, पुनरीक्षणकर्ता।

बैठक में उपस्थित उप निदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 26.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि संयुक्त निरीक्षण आख्यानानुसार मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गयी, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे0सी0बी0 मशीन संख्या UK10 CA 1212, ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 के ड्राइवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया है। संयुक्त औचक निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज स्टोन केशर की जांच किया जाना परिलक्षित हुआ है, अन्यत्र किसी स्थान के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है तथा वाहन सीज/चालान किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है तथा अगिलेखानुसार किसी भी वाहन को सीज किया जाना नहीं पाया गया। उक्त वाहनों का स्वामित्व मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज का होने के कारण अवैध खनन का आरोप उक्त फर्म पर किया गया है।

*[Signature]*

*[Signature]*



4. सुनवाई बैठक में पुनरीक्षणकर्ता ~~475~~ डोमाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन स्थल पर 02 ट्रक व जे0सी0बी0 के खड़े होने मात्र के आधार पर ही मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री विनोद डोमाल, ग्राम. कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर पर जुर्माना घनराशि आरोपित की गयी है जबकि उक्त वाहनों पर नियमानुसार कोई भी अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने का कोई वर्णन जांच रिपोर्ट में नहीं है तथा उक्त स्टोन केशर में अवैध खनन का कोई उपखनिज बरामद नहीं हुआ है तथा स्टोन केशर परिसर में गण्डारित कच्चे एवं पक्के माल में पोर्टल के अनुसार कोई भिन्नता नहीं पायी गयी है। इसके अतिरिक्त जांच दल द्वारा अन्य समीप स्थित सम्भावित स्थलों यथा स्थोन केशर अथवा अन्य प्लान्ट आदि की कोई जांच नहीं की गयी है। जबकि अवैध उपखनिज, जो 49727 टन होना बताया गया है, की मात्रा को कहीं न कहीं तो उपयोग में लाया गया होगा, इसका कोई साक्ष्य व बरामदगी रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एम0एम0डी0आर एक्ट के नियम 21 के उपनियम 4 व 5 का हवाला देते हुये अवगत कराया गया कि जांच दल द्वारा उक्त अधिनियम के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है, जबकि संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध उपखनिज की आंकलित मात्रा 49727 टन को आरोपित व्यक्ति से अपहृत किया जाना था अथवा ऐसे आरोपित व्यक्ति, जिसने अवैध खनिज को Disposed Off किया हो, को ज्ञात कर दण्ड आरोपित करना चाहिये था जोकि जांच दल द्वारा नहीं किया गया। जांच दल द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के केशर में सभी कुछ सही पाया गया तथा केशर परिसर से अवैध उपखनिज की कोई बरामदगी नहीं पायी गयी तथा न ही केशर परिसर में अवैध खनन के कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य ही मिले हैं, जिस कारण संयुक्त जांच रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य न होने के कारण आरोपित जुर्माना घनराशि को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. सुनवाई में विभागीय अधिकारियों एवं उपलब्ध अभिलेखों की विवेचना करने के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के आस-पास कई अन्य स्टोन केशर भी स्थापित हैं तथा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री विनोद डोमाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर द्वारा ही अवैध खनन किया गया है, इसके पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। निरीक्षण के दौरान पायी गयी जे0सी0बी0 मशीन तथा ट्रक पर भी अर्थदण्ड न होने से यह स्पष्ट नहीं है कि अवैध खनन करते पाये गये वाहन उक्त स्टोन केशर से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों से चाही गई पुष्ट जानकारी का कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही इसके कोई साक्ष्य व प्रमाण ही उपलब्ध हो सके।

उक्त सुनवाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य, अपीलकर्ता के कथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन/विवेचना करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

### आदेश

प्रकरण में अवैध खनन स्थल के निरीक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट व उपलब्ध आख्या तथा संगत अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर पाये गये ट्रक व जे0सी0बी0 पर नियमानुसार कोई अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी जबकि पकड़े गये वाहनों को सीज/चालान किये जाने की कार्यवाही भी मौके पर नियमानुसार की जानी चाहिये थी, मात्र अवैध खनन स्थल पर खड़े वाहनों के स्वामित्व का आधार लेते हुये अवैध खनन किये जाने हेतु पुनरीक्षणकर्ता मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज को ही आरोपी बनाया जाना तर्कसंगत नहीं पाया गया। प्रकरण में संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन से सम्बन्धित उपखनिज की बरामदगी मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज के स्टोन केशर अथवा समीपस्थ अन्य किसी स्थान/स्टोन केशर से होने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य अपनी रिपोर्ट में उपलब्ध/अंकित नहीं कराया जा सका है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज के स्टोन केशर से सम्बन्धित पोर्टल पर भी उक्त

*Wills*

476  
अवैध उपखनिज की मात्रा का कोई अपडेट/उपलब्धता नहीं दर्शायी गयी है तथा न ही अवैध खनन स्थल से उपखनिज के सम्बन्धित केशर पर अवैध आवागमन के कोई फोटोग्राफस ही उपलब्ध हैं। प्रकरण में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के कोई स्पष्ट व पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है तथा न ही सुनवाई बैठक में कोई समुचित आधार व साक्ष्य ही उपलब्ध कराये गये। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के कोई पुख्ता साक्ष्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण पर्याप्त साक्ष्यों की पुष्टि के अभाव में मात्र काल्पनिक रूप से पुनरीक्षणकर्ता को अवैध खनन का दोषी मान लिया जाना न्याय संगत नहीं पाया गया। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवैध खनन किये जाने के पुष्ट साक्ष्यों व अगिलेखों के अभाव में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या-6879/32-एम0बी0(2021-22), दिनांक 08.08.2022 एवं पत्र संख्या-268/32 एम0बी0 (2021-22), दिनांक 13.10.2022 द्वारा निर्गत नोटिसों को एतद्वारा निरस्त करते हुए तदनुसार पुनरीक्षण/अपील निर्गत एवं निस्तारित की जाती है।

(लक्ष्मण सिंह)  
अपर सचिव

संख्या: /VII-A-1/2023-10(22)/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
2. निदेशक, मृतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज, प्रो. श्री विनोद डोमाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
4. -गार्ड फाईल-

*Wills*

(लक्ष्मण सिंह)  
अपर सचिव



*Vimal Prasad Nautiyal*  
Vimal Prasad Nautiyal  
Advocate & Notary  
Reg. No. 13413  
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)  
17/15/2023